ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या – 50 /2019
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
दिनांक दिसम्बर 02, 2019

विषयः–क्रिमिनल मिस0 अप्लीकेशन सं0–16228/2019 नवल डे भारती बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत हों कि जनपद–प्रयागराज में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग हेतु थाना–कीडगंज, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0–396/2017 में धारा–3/10 Examinations Act 1982 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसके विषय में याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आरोप पत्र निरस्त किये जाने हेतु उपरोक्त याचिका द्वारा याचना की गयी।

2. उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के मध्य यह पाया गया कि धारा 3/10 Examinations Act 1982 नाम का कोई अधिनियम अस्तित्व में नहीं है और विवेचनाधिकारी तथा सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा बिना इस तथ्य का संज्ञान लिये हुये आधी–अधूरी विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित विवेचनाधिकारी पर रूपये 50,000 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया और वादी के विरूद्ध भी समान राशि का अर्थदण्ड आरोपित करते हुये सम्बन्धित प्रकरण में आरोप पत्र निरस्त करते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को आदेश निर्गत किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"On the aforesaid discussion, this Court is of the view that criminal proceedings against the applicant by opposite party No. 2 is nothing but a clear abuse of process of Court. Impugned summoning order dated 14.06.2017 is also not sustainable, as Section 3/10 Examination Act 1982 is not in existence, hence no offence is made out against the applicant. This Court under the facts and circumstances of this case, feels that it is the solemn duty of the Court to protect apparently an innocent person, not to be subjected to such frivolous prosecution on the basis of wholly untenable allegations and complaint, if criminal proceeding is allowed to go on, the same will tantamount to causing grave miscarriage of justice, therefore in order to secure the ends of justice, the impugned criminal proceeding against the applicant is liable to be quashed.

The present case is case of "miscarriage of justice" as it neither followed the "substantive due process doctrine" nor the " procedural due process doctrine", which has led to clear violation of rights of the applicant guaranteed under Article 21 of the constitution of India. --

The investigating officer did not conduct fair investigation and without applying his mind submitted the charge sheet in arbitrary manner without any iota or credible evidence

--2

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

against the applicant.-- while in the State of U.P there was no such Act in the name of Examination Act, 1982.-- therefore, the entire criminal proceeding pursuant to impugned charge sheet dated 29-01-2017 is abuse of the process of the Court.-- and is liable to be quashed by this Court.--

In this case the magistrate concerned also did not take pain even to examine whether the Examination Act 1982 is in existence or not.--

"The Director General Of Police U.P. Lucknow, to issue suitable direction in the light of observations made in the order to all the authorities concerned in order to maintain the sanctity of law and faith of public in the investigation."

3. आप सभी अवगत हैं कि विवेचनाओं में सतर्कता, गंभीरता व निष्पक्षता के दृष्टिगत इस मुख्यालय द्वारा कई दिशा--निर्देश आप सभी लोगों को समय--समय पर निर्गत किये जाते रहे है, परन्तु ऐसा लगता है कि कतिपय प्रकरणो मे शिथिल पर्यवेक्षण व विवेचनाधिकारियो मे विधिक ज्ञान का अभाव होने के कारण पूरे पुलिस विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पडता है।

4. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि आप सभी विधिक रूप से सुनिश्चित करे कि थाना स्तर पर अपराधों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर समुचित धाराओं एवं अधिनियमों में प्र0सू0रि0 पंजीकृत हो तथा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा उसका भली--भाँति विधिक समीक्षा कर ली जाये। यदि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक/प्रधान लेखक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

आप सबसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को अपराध गोष्ठियों में अधीनस्थों को भली--भाँति अवगत कराते हुये इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें, जिससे भविष्य में पुलिस विभाग को किसी असहज स्थिति का सामना न करना पडे।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद
उ0प्र0/ (रेलवे)

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु--

1. पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण/विशेष जाँच/सीबीसीआईडी/आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/अपराध/रेलवे/ए0टी0एस0 उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र।
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस0आई0टी0, उ0प्र0।
6. पुलिस अधीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner